REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2018

"भारत में महिला उत्पीडन एवं इससे सम्बन्धित विधियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन(म.प्र. के विशेष संदर्भ में)

प्रीतान्जली सिंह[1] , डॉ. एस. पी. सिंह[2]
[1]शोधार्थी शा. (स्वशासी) टी. आर. एस. उत्कृष्ट महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
[2]प्राचार्य शा. विधि महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

सारांश:-

नारी उत्पीडन प्राचीनकाल से लेकर वर्तमानकाल तक अपने उसी भयावह रूप में मौजूद है। इतिहास इस बात का साक्षी है, नारी के साथ न्याय नही हुआ है। नारी उत्पीडन की कथा से विष्व साहित्य भरा पडा है। नारी पतिव्रता है तो पीडित, नारी निर्धन है तो प्रताडित, नारी कुरूप है तो अवांछित, नारी सुन्दर है तो असुरक्षित अर्थात नारी को हर अवस्था में समस्याओं का सामना करना है और ये समस्याएँ बढती ही जा रही है। नारी को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित करना नारी उत्पीडन है। बैली के अनुसार नारी को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार नारी उत्पीडन के अन्तर्गत आता है। नारी उत्पीडन केवल नारी की ही समस्या नही है बल्कि पूरे समाज की समस्या है और यदि इसकी ओर गम्भीरता से विचार नही किया गया तो समाज के सामने असंख्य और समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी।

मुख्य शब्द : महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महिलाओं का शोषण, उत्पीडन, मानव तस्करी, साइबर हिंसा, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक, बलात्कार, संवेदनशीलता।

प्रस्तावना :

वैदिक काल में महिला की स्थिति अत्यन्त उन्नत थी, उस समय महिलाओं की स्थिति उनके आत्म विकास, शिक्षा , विवाह, सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में पुरूषों के समान थी। मानव विकास के प्रारम्भिक काल में प्रचलित धर्म के तहत महिला को देवी की तरह पूजा करते थे।

"यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते"

वेदो में प्राकृतिक आधार पर अवधारणा निरूपित की गई है

"पिता रक्षाति कौमारे, भर्तारक्षाति यौवने,स्थविरे पुत्राः नस्त्री स्वांतत्र मर्हति"

वैदिक काल के उपरान्त महिलाओं पर पुरुष शासन का शिकंजा कसता गया। समानता स्वतंत्र, जनतंत्र यह तीन संकल्पना सर्जनशील मानव बनने हेतु या जीवन जीने हेतु आवश्यक है। महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव शोषण, उत्पीडन, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बेरोजगारी, कुपोषण, मातृत्व मृत्यु दर तथा निर्धनता की स्थिति बेहद चिंताजनक है। अशिक्षा, अंधविश्वास, कुप्रथाएँ, सभ्य समाज के माथे पर कलंक हैं। मध्यकालीन युग में महिलाओं से संबंधित कानूनों की वजह से स्वतंत्रता का हनन हुआ।

आधुनिक युग में ब्रिटिश शासन काल के दौरान महिलाओं की उक्त प्रस्थिति में परिवर्तन हेतु अनेक समाज सुधारकों ने आन्दोलन प्रारम्भ किये थे। महिलाओं की प्रस्थिति के संदर्भ में सामाजिक कुरीतियाँ हमेंशा बाधक थी। भारत के संविधान की भूमिका में बिना किसी लिंग भेद के समानता की व्याख्या की गई है। संविधान के अनुच्छेद 15 (3) में राज्य सरकारों को महिलाओं और बच्चें के कल्याण के लिए नियम बनाने हेतु अधिकृत

किया गया है। अनुच्छेंद 14 में समानता का प्रावधान हैं अनुच्छेद 16 (1) में रोजगार में समान अवसर की रूपरेखा है। महिलाओं के वैधानिक अधिकारों के शोध प्रस्ताव में चार वर्गो में बांटा जाना प्रस्तावित है– (1) उन्नयात्तमक (2) सुरक्षात्मक (3) विकासात्मक (4) निषेधात्मक महिला उत्पीडन तथा इससे सम्बन्धित अपराधों को रोकने के लिए संवैधानिक एवं अनेक विधिक प्रावधान है। इन विधियों को तीन भागों में बांट सकते है– (1) संवैधानिक प्रावधान–भारत का संविधान (2) दण्ड अधिनियम (3) महिलाओं से संबंधित विविध अपराध अधिनियम। इन विधियों के महत्वपूर्ण प्रावधानों का इस शोध अध्ययन में किया जाना प्रस्तावित है– भारत का संविधान, भारतीय दण्ड संहिता, 1960; दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973; साक्ष्य अधिनियम, 1972; अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम,1956; स्त्री तथा लडकी अनैतिक व्यापार दमन नियम, 1960; स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986; बाल–विवाह प्रतिशेष अधिनियम, 2006; म0प्र0 बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007; सती निवारण अधिनियम, 1987; (संशोधन) 1988; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961; दहेज प्रतिषेध (वर–वधु भेंट सूची) नियम, 1985; मुस्लिम महिला (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986; घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम, 2005; (संशोधन) 2006; अनुसूचित जाति/जनजाति (आकस्मिता योजना) नियम, 1995; समान परिश्रामिक अधिनियम,1976; हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; उक्त प्रावधानों के बावजूद भी महिलाओं को कानूनी मार्गदर्शन एवं जागृति न होने के कारण समाज में असुरक्षा की भावना विद्यमान हैं। विधि प्रावधानों के तहत महिला समाज को पुरूष समाज में उचित स्थान व सम्मान दिलाने जाने का उद्देश्य इस शोध भूमिका में है।

शोध विधि:-

शोध विषय से संबंधित सामग्री (पुस्तकें, शोध आलेख, रिपोर्ट, न्यायालयीन टिप्पणियॉ, विधिक निर्णय) का संकलन कर चिन्तन, मनन एवं विष्लेषण के माध्यम से शोध निर्देशक की सलाह अनुसार निष्कर्ष ज्ञात किया जायेगा। साथ ही सांख्किीय पद्धति के द्वारा एकत्रित तथ्य एवं आंकडों द्वारा संबंधित अपराधों का अध्ययन–विष्लेषण किया जायेगा।

विश्लेषण:-

मध्यप्रदेश महिला आयोग के अनुसार 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक प्रदेश में 3419 महिलाओं के साथ हुए उत्पीडन की शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है। इनमें 415 महिलाओं से दुराचार किया गया, 280 महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी गई और 412 नव विवाहिताएॅ दहेज का शिकार हुई, 1345 महिलाओं का अपहरण कर लिया गया तथा 967 महिलाओं को अन्य उत्पीडन का शिकार होना पडा। ये तो वे सरकारी ऑकडे है जो रिकॉर्ड में चढ चुके है, जबकि वास्तव में यह ऑकडा कई गुना होने की आशंका है।

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग से प्राप्त आकडों की वर्षवार जानकारी

क्रमांक	वर्ष	पंजीबद्धप्रकरण
1	1998-99	376
2	1999-2000	895
3	2000-2001	1149
4	2001-2002	1505
5	2002-2003	1935
6	2003-2004	1676
7	2004-2005	2062
8	2005-2006	3514
9	2006-2007	5978
10	2007-2008	3863
11	2008-2009	3172
12	2009-2010	2833

13	2010-2011	3232
14	2011-2012	5594
15	2012-2013	4198
16	2013-2014	4552
17	2014-2015	4210
18	2015-2016	3419

स्रोत म.प्र. महिला आयोगवेबसाइट

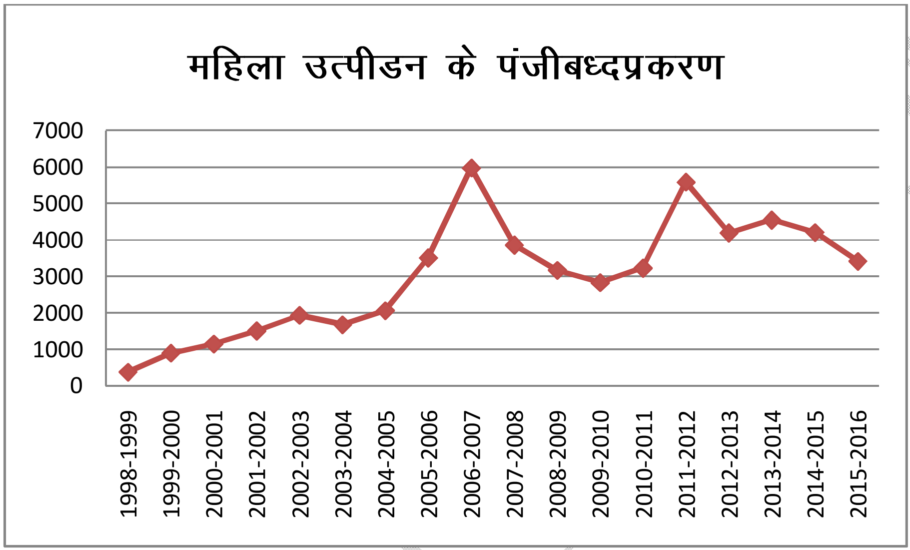

1. नारी उत्पीडन के प्रमुख स्वरूप :

वैसे तो नारी विभिन्न प्रकार के उत्पीडन का शिकार होती है, लेकिन जो नारी उत्पीडन के प्रमुख स्वरूप हैं वे निम्नलिखित है–

1.1 यौन उत्पीडन –

यौन उत्पीडन एक गम्भीर सामाजिक समस्या है जो नारी को शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप में पीडित करती है। इस समस्या के कारण महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढी है घर से निकलते ही वे इस अनजाने भय से घिर जाती है कि पता नही आज उन्हें क्या–क्या सुनने को मिलेगा । ऐसा मानसिक त्रास उनकी कार्यक्षमता एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। यौन उत्पीडन का शिकार हर जाति, वर्ग, धर्म, ग्रामीण एवं नगरीय महिलाएँ है। यहाँ तक कि पुलिस एवं प्रशासन की आला अधिकारी भी इसका शिकार हो रही है। भारत में पहली बार हुए अन्तर्राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के समापन अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष गिरिजा व्यास ने बताया कि पिछले दो सालों में 48 महिला अधिकारियों ने यौन उत्पीडन की शिकायत की है।

1.2 बलात्कार –

बलात्कार महिलाओं के साथ किया गया वह अपराध है जो कि हत्या से भयानक जुर्म है। एम0 एन0 अन्सारी के अनुसार, बलात्कार महिला के साथ किया गया सबसे अधिक क्रूरतम उत्पीडन है जिसमें शारीरिक पीडा तो होती ही है साथ ही महिला को मानसिक वेदना भी होती है जो क्षणिक न होकर आयुपर्यन्त तक उस महिला के मन में एक अपराध भाव पैदा करती हैं । बलात्कार नारी उत्पीडन का वह रूप है जिसने भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया है। बलात्कार के सम्बन्ध में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने चौकाने वाले ऑकडे प्रस्तुत किए है– प्रतिवर्ष 5 हजार से ज्यादा बलात्कार के मामले रिपोर्ट किए जाते है, जबकि हर मामला दर्ज नही किया जाता है। इस गम्भीर उत्पीडन के कारण नारी में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। वह कही अपने को सुरक्षित महसूस नही कर रही है, चाहें वह स्कूल में है, ट्रेन में, दफतर में, अस्पताल में या फिर घर के

अन्दर कही भी सुरक्षा की गारण्टी नही है। यदि शीघ्र ही इस बुराई को दूर नही किया गया तो यह हमारे समाज को पूरी तरह विनाश के गहरे गर्त में डुबों देगी।

1.3 घरेंलू हिंसा –

घरेलू हिंसा महिला उत्पीडन का वह रूप है जिसकी अक्सर अनदेखी की जाती रही है। घरेलू हिंसा नारी को शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही रूपों में उत्पीडित करती है। राम आहूजा के अनुसार, महिला उत्पीडन के अन्तर्गत घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति की गई हिंसाओं में प्रमुख है– स्त्रियों को मारना, पीटना, जलाना, दहेज के लिए प्रताडित करना, उनके साथ लैगिक दुर्व्यवहार करना आदि प्रमुख है। इस प्रकार के अत्याचार शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा अशिक्षित महिलाओं के साथ अधिक होते है। वर्ष 2002 में सेंन्टर फार वीमेंन्स डवलपमेंट स्टडीज की तरफ से किए गए अध्ययन के अनुसार 45 प्रतिशत महिलाएँ अपने पतियों की पिटाई का शिकार होती है। साथ ही अफसोसजनक यह भी ळे कि गर्भावस्था में हिंसा की शिकार महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। यहॉ 50 प्रतिशत महिलाएँ गर्भावास्था में हिंसा की शिकार होती है।

1.4 दहेज प्रताडना एवं दहेज हत्या –

दहेज प्रथा नारी के लिए अभिषाप बन गई है। इस कुप्रथा के कारण लडकियॉ को बोझ समझा जाता है उन्हें इतना प्रताडित किया जाता है कि वे आत्महत्या कर लेती है या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। यह कुप्रथा कन्या भ्रूण हत्या के लिए भी उत्तरदायी है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में दहेज के कारण प्रतिदिन 17 नव विवाहिताएँ अपना जीवन समाप्त कर लेती है। योगेन्द्र नारयण शर्मा के अनुसार, स्त्रियों को उनके पति व ससुराल वालों द्वारा दहेज के कारण मार दिया जाता है। कहीं भी नजर डालिए दुर्घटनाओं का कुचक्र देखने को मिलता है। पत्नी को जिन्दा जलाने की दर्दनाक घटनाएँ सभी वर्ग, धर्म व जाति के लोगों में फैल रही है।

1.5 कन्या भ्रूण एवं कन्या हत्या –

जैसे–जैसे हम विकास की सीढियॉ चढ रहे है, वैसे–वैसे लडकियों को मारने की कला में माहिर होते जा रहे है, सिर्फ पुत्र प्राप्ति की इच्छा ने आज देश की जनसंख्या सन्तुलन के सामने एक गम्भीर प्रष्न खडा कर दिया है। वैसे तो गॉव और शहर दोनों में कन्या भ्रूण हत्या की जाती है। लेकिन गॉव की तुलना में शहरों में प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1901 में महिलाओं की संख्या पुरूषों से सिर्फ 32 लाख कम थी। वर्ष 2001 में यह अन्तर 3 करोड 50 लाख हो गया । दिल्ली जोकि देश की राजधानी है, वर्ष 1991 में जहॉ 1000 लडकों के अनुपात में 915 लडकियॉ थी, 2001 में घटकर 865 रह गई । वर्ष 2004 में जनवरी से जून के बीच दिल्ली में जन्में बच्चों का अनुपात बहुत चौकाने वाला है। 1000 लडकों पर सिर्फ 762 लडकियों का जन्म पंजीकृत हुआ हैं । मध्यप्रदेष,पंजाब और हरियाणा की स्थिति और भी चिन्ताजनक है। तमिलनाडु के सलेम, चंबलघाटी की पहाडियों और राजस्थान के आदिवासी इलाकों में लिंग–परीक्षण के चलते–फिरते क्लीनिक काम कर रहे है। लडकियों को खत्म करने का दूसरा तरीका जन्म के बाद उसकी हत्या कर देना है। राजस्थान के कुछ गॉव ऐसे है, जहॉ लडकियों की हत्या बडें ही विधि विधान के साथ की जाती है और उन गॉवों में लडकियॉ नाममात्र को भी नही है। अप्रत्यक्ष रूप से भी कन्याओं की हत्या की जा रही है, उन्हें पोषण और स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है जिसके कारण लडकियों की मृत्यु–दर लडकों से अधिक है।

2. नारी उत्पीडन : कारण एवं समाधान

यह विचित्र विसंगति है जैसे–जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए–नए कानून बन रहे है और प्रशासनिक उपाय किए जा रहे है, वैसे–वैसे महिला उत्पीडन का ग्राफ ऊपर चढ रहा है। चिन्ता की बात यह है कि विविध नियमों और कानूनों के बावजूद भी न्यायायिक एवं प्रशासनिक ढॉचा उत्पीडित महिला को न्याय नही दिला पा रहा है। वह न्याय मॉगने के लिए सक्रिय होती है। तो उसे यह कह कर हतोत्साहित कर दिया जाता है कि कोर्ट के चक्कर काटने से कुछ नही मिलेगा सिवाय बदनामी के। नारी को न्याय न मिलने के विषय में उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट अरविन्द जैन का कहना है "पितृ–सत्तात्मक समाज में समाज, सत्ता, संसद

और कानून और व्यवस्थाएँ इस प्रकार से की गई है कि आदमी के निकलने के लिए हजारों चोर दरवाजे मौजूद है, जबकि औरत के लिए कानून चक्रव्यूह से निकल पाना एकदम असम्भव है।"

नारी उत्पीडन की इस गम्भीर समस्या के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी कारण उत्तरदायी है, इसलिए इन सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाकर ही इस समस्या के समाधान के लिए आगे आना होगा, अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को स्थापित करना होंगा, जागरूक होना होगा तथा इतनी शक्तिशाली होना होगा कि वह अपने आधारभूत व्यक्तित्व पर लगने वाले आरोपों के प्रहारें से ऊपर उठ सके। नारी सहज रहे, सरल रहे, शान्त स्वभाव से रहे लेकिन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर मात्र पुरूष के साथ। नारी को सदियों से चले आ रहे अन्याय को सहने की आदत बदलनी होगी। इसके लिए नारी को शिक्षित एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना होगा।

हम बच्चों के परम्परागत समाजीकरण के रूप में परिवर्तन लाकर समस्या का हल ढूंढ सकते है। जैसे–बेटा–बेटी के पालन–पोषण में कोई भेदभाव न किया जाए, लडकियों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाया जाए, हम अपने लडकों को ऐसे संस्कार दें कि वे आगे चलकर नारी उत्पीडन न करें बल्कि नारी उत्पीडन को दूर करने में सहयोग करें।

केवल कानून बना देने से किसी भी सामाजिक समस्या का हल नही होता है। कानून की निरोधक शाक्ति तभी फलीभूत होती है जब सामाजिक अन्तर्चेतना के दृढ नैतिक संकल्प का आशीर्वाद इसको प्राप्त हो। नैतिक मानदण्डों एवं मूल्यों में विश्वास करने वाला समाज ही कानून के प्रति निष्ठ हो सकता है। न्यायप्रियता की भावना जिस समाज की प्राणात्मा हो उसी समाज में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझा जाए, कानून को खिलौना समझ कर खेला जाए वहाँ कानून का कोई महत्व नही है। आवश्यकता कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में सुधार करने की है।

निष्कर्ष:

भारत में महिलाओं के विरूद्ध जिस प्रकार के हिंसा का रूप दिखाई देता है उसमें 60.4 प्रतिशत को घरेलू स्तर पर ही हल किया जा सकता है। महिलाओं के लिए पहले से बने लगभग 20 कानून औरतों को सुरक्षा देने में पूरी तरह कामयाब नही हो सके है वस्तुतः स्त्री को सशक्त किया जाय, स्त्री सशक्तीकरण उसकी चेतना अपने अधिकार के प्रति जागरूकता से पूरी तरह जुडा है, इडिण्यन हयूमन डेवलपमेंट सर्वे कहता है कि औरतों को आत्मनिर्भर बना दीजिए, उसकी संवेदनशीलता कम करने की सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह घर से बाहर निकले और काम करें। बाहर की दुनिया से सम्पर्क बढेगा तो वे खुद को संभालने में सक्षम होंगी और मनोवैज्ञानिक रूप से ताकतवर भी। महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है न केवल अपने विचार परिवर्तन की बल्कि परिवार व समाज परिवर्तन की जिम्मेदारी भी उसी की है।इस प्रकार यदि सामाजक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाए, महिलाओं को शिक्षित, जागरूक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर किया जाए, नैतिक मूल्यों के महत्व को समझा जाए, कानून एवं न्याय व्यवस्था में सुधार किया जाए तो इस बात की कहीं अधिक सम्भावनाएँ हैं कि आने वाले कल में राष्ट्रीय जीवन में महिलाएँ पुरूषों से बेहतर नही तो उनके बराबर स्तर पर अपने को दृढता से स्थापित कर सकेंगी और उत्पीडन का शिकार नही होंगी।

संन्दर्भ– सूची :

1. डॉ. बैली, वॉयलैन्स अगेन्स्ट वूमैन, नई दिल्ली : कृष्णा प्रकाशन, 1988.
2. चौहान, एम.एस. "अपराध शास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन", सेंन्ट्रल लॉ एजेंन्सी इलाहाबाद, 2003.
3. खेतान प्रभा, सीमोन द बोउवार "स्त्री उपेक्षिता", हिन्दी पॉकेट बुक्स, दिल्ली,2004.
4. 'सूबे में महिला उत्पीडन के मामले बढे', अमर उजाला, 12 मई, 2006.
5. 'अन्तार्राष्ट्रीय महिला कांग्रेस समापन समारोह', अमर उजाला, 30 नवम्बर,2005.
6. एम.एन. अन्सारी, महिला और मानवाधिकार, जयपुर : ज्योति प्रकाशन, 2003
7. नेशनल काइम रिकार्ड व्यूरो, इण्डिया टुडे, एक रिपोर्ट, नई दिल्ली, 2000.
8. 'आर्थिक आजादी के बिना घरेलू हिंसा से मुक्ति सम्भव नहीं', अमर उजाला, 27 जनवरी, 2006.
9. राम आहूजा, क्राइम अगेन्स्ट वूमैन, जयपुर : रावत पब्लिकेंशन, 1987.

10. योगेन्द्र नारायण शर्मा, 'बढता हुआ नारी उत्पीडन पुलिस के लिए चुनौती', उत्तर प्रदेश पुलिस पत्रिका, पी.टी. सी. प्रकाशन, 1 अक्टूबर, 1990.
11. 'शिक्षा में भी आगे कन्या भ्रूण हत्या में भी आगे', अमर उजाला, 17 जनवरी, 2006.
12. अरविन्द जैन, औरत होने की सजा, नई दिल्ली : विकास पेपर बैक्स, 1994.

प्रीतान्जली सिंह
शोधार्थी शा. (स्वशासी) टी. आर. एस. उत्कृष्ट महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

डॉ. एस. पी. सिंह
प्राचार्य शा. विधि महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

LBP PUBLICATION